नारी सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका

डा. सावित्री तड़ागी,

एसोसिएट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष (शिक्षा शास्त्र),
विद्यान्त हिन्दू पी.जी. कालेज, लखनऊ।

प्रस्तावना

आदिम युग में मानव समाज स्त्री–पुरूष के भेदभाव से रहित था। सब साथ मिलकर शिकार करते, खाते और रहते थे। शिकार के लिए गुफाओं से बाहर जाने की आवश्यकता होती थी। बच्चों को जन्म और जीवन देने का वरदान प्रकृति से स्त्री को ही मिला है। शिशुओं के लालन–पालन के दायित्व के कारण कालान्तर में नारी की भूमिका घर के चार–दीवारी तक सीमित होने लगी। प्रगति, परिवर्तन और विकास के क्रम में पुरूष की प्रधानता बढ़ती गई और स्त्री की भूमिका गौण रह गई। इतना ही नहीं परंपराओं और रीति–रिवाजों की आड़ में कुछ अवैज्ञानिक और तर्कहीन मान्यताओं ने जनमानस के मस्तिष्क में गहरी जड़ें जमा लीं जिनसे मुक्ति पाना एक चुनौती है।

वर्तमान में महिला सशक्तीकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारे ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए बताया गया है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। विडम्बना है कि पौराणिक काल में नारी की इतनी महत्ता होने के बावजूद आज उसे सशक्तीकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो मानव समाज में पुरूष और नारी की संख्या लगभग आधी–आधी बराबर है। अतः विकसित समाज के निर्माण में स्त्री और पुरूष दोनों की बराबर सहभागिता होना आवश्यक है। विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी यह आवश्यक है कि आधी आबादी का योगदान सुनिश्चित किया जाय। भावी पीढी के रूप में व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज तथा राज्य तक के चहुंमखी विकास की जिम्मेदारी में पुरूषों के साथ स्त्रियों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ही परिवार की धुरी ''नारी'' का सशक्तीकरण आवश्यक है।

अर्थ एवं परिभाषा

अर्थशास्त्री **बीना अग्रवाल** महिला सशक्तीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित करती हैं, जिससे दुर्बल एवं उपेक्षित लोगों के समूहों की क्षमता बढ़े। जिससे महिलाएं अपने आपको निम्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में डालने वाले मौजूदा शक्ति संबंधों को बदल कर अपने पक्ष में कर सकें। नारी सशक्तीकरण से तात्पर्य नारी को आत्मनिर्भर बनाना है।

डा. दिग्विजय सिंह के अनुसार महिला सशक्तीकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तीकरण का एक बड़ा मानक है। इस प्रकार महिला सशक्तीकरण का अर्थ है–उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था, तौर–तरीकों को चुनौती में समान अवसर, राजनैतिक व आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन का अधिकार आदि।

डा. अरूण कुमार सिंह के अनुसार महिला सशक्तीकरण का अर्थ है महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना ताकि वह सहजता से अपने जीवन–यापन की व्यवस्था कर सके।

लीना मेंहदेले के अनुसारः सशक्तीकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर हैः इनमें प्रमुख हैं–

1. निर्भयता, जिसके लिए समाज में कानून और सुरक्षा का होना।
2. रोजाना के नीरस, उबाऊ और कमर तोड़ कामों से मुक्ति।
3. आर्थिक आत्म निर्भरता एवं उत्पादन क्षमता।
4. सत्ता एवं सम्पत्ति में पुरूषों के साथ बराबरी का हक।
5. ऐसी शिक्षा जो महिला को उपरोक्त स्थितियों के लिए तैयार कर सके।

महिलाओं के सशक्तीकरण का अर्थ उनके आर्थिक सशक्तीकरण फैसले, आय, सम्पत्ति और दूसरी वस्तुओं की उपलब्धता से है, इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा कर सकती है। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है कि पुरूष समाज स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूक बनें।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा

सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। इस दृष्टि से देखें तो नारी का सशक्तीकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए। उन्हें पुरूषों के साथ–साथ विकास की सहभागी माना जाए। सशक्तीकरण के अंतर्गत महिलाएं अपने आर्थिक स्वालबन, राजनीतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुंच व नियंत्रण प्राप्त करती हैं। अपनी शक्तियों व संभावनाओं, क्षमता व योग्यता तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती हैं।

''सशक्तीकरण'' शब्द का विच्छेद है स+शक्ति+करण। इसमें ''स'' उपसर्ग है ''शक्ति'' संज्ञा, तथा ''करण'' विशेषण और प्रत्यय है सशक्तीकरण। ''सशक्तीकरण'' का ध्वनि अर्थ है, शक्तिसहित गत्यात्मकता। सशक्तीकरण विकासात्मक प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली, निर्बल को सबल बनने की प्रक्रिया। पूर्ण सशक्त व्यक्ति वह है जो अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र हो। सामाजिक संदर्भों में जिस पर विवाह संतानोत्पत्ति तथा व्यवसाय आदि से संबंधित विषयों पर घरेलू अथवा सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार का दबाव न हो। इस प्रकार स्त्रियों के संदर्भ में सशक्तिकरण की अवधारणा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

महात्मा गांधी के अनुसार ,''हमारा पहला प्रयास अधिक से अधिक महिलाओं को उनकी वर्तमान स्थिति के प्रति जागरूक करना होना चाहिए। जब नारी शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं। मैं इसमें यह जोडूंगा कि जब हम नारी को शिक्षित करते हैं तो न केवल दो परिवारों बल्कि दो पीढियों को शिक्षित करते हैं। ''

भारत के प्रथम प्रधान मंत्री, जवाहर लाल नेहरू का कहना था कि ''लैंगिक असमानता चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए उसे दूर करना आवश्यक है। लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।''

वर्तमान प्रधान मंत्री, नरेन्द्र दामोदरदास मोदी का कथन है कि ''नारी सशक्तीकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। हमें समाज

में ही नहीं, बल्कि परिवार के भीतर भी महिलाओं और पुरूषों के बीच भेदभाव को रोकना होगा।''

यूएनडीपी (UNDP) नारी सशक्तीकरण को सिर्फ महत्व नहीं देता कि यह मानव अधिकार है बल्कि इसके माध्यम से हमारे सदियों से चले आ रहे विकास के लक्ष्यों को पूरा करने और सतत् विकास के मार्ग में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को भी सम्मिलित करना है। लैंगिक समानता, गरीबी में कमी, लोकतांत्रिक शासन, संकट की रोकथाम, पर्यावरण व सतत् विकास में महिलाओं की भागीदारी, सशक्तीकरण को एकीकृत करने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करता है। संयुक्त राष्ट्र महिला शाखा (UNIFEM) को दुनिया भर में स्त्रियोंकी जरूरतों को पूरा करने में तेजी लाने के लिए स्थापित किया गया है।

सशक्तीकरण के तत्व

मांगने से, करने से अथवा जताने से किसी को शक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। शक्तियां प्राप्त करने के लिए पहली जरूरत है कि स्वयं को सशक्त बनाया जाए। पुरुषवादी, नारी विरोधी एवं भौतिकतावादी संस्कृति ने नारी को हराया है। महिलाओं को भावनात्मक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर बनाए रखने की चेष्टा जारी रखी है। आमतौर पर महिलाएं भौतिकता, निरक्षरता, आत्म–सम्मानहीनता, निर्भरता एवं सेवकत्व के कारण कमजोर होती चली आई हैं। महिलाओं एवं पुरुषों को अपना आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों का आदान प्रदान अधिक से अधिक करना चाहिए। अपनी बौद्धिक एवं कार्मिक योग्यताओं का विकास करना चाहिए और ध्यान अभ्यास दवारा सर्वोच्च आध्यात्मिकता तथा शक्तियां संचित करनी चाहिए।

आत्म गौरव

एक सशक्त महिला को स्वयं पर गौरव होता है। उसे अच्छा लगता है कि वह एक महिला है। आज की संस्कृति के अनुसार अधिकांश महिलायें इस बात के लिए अपने आपको शर्मिंदा महसूस करती है कि वह एक औरत है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि वह स्वयं को पुरुषों की तुलना में शारीरिक व भावनात्मक रूप से कम समझें। वह कुछ भी नहीं कर सकती है। महिला आंदोलनों का एक नारा है ''ना मेरा शरीर, ना ही किस्मत मेरी''। यह बात बिल्कुल सत्य है कि कुछ जैविक कार्य मात्र महिलाएं ही कर सकती हैं। इसमें लिंग भेद का कोई मुद्दा नहीं होता है। किसी महिला को इस बात के लिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह एक महिला है। अतः पुरुषों के समान बनने की कोशिश करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे समाज में यदि कोई महिला की प्रशंसा करना चाहता है, तो वह हमेशा पुरुषों का ही संदर्भ चलता है। कहा जाता है तुम तो अलग हो, तुम बिल्कुल मर्दो के समान हो। इस प्रकार की नकारात्मक प्रशंसा को चुनौती देने की आवश्यकता है।

महिला शब्द का सुन्दर सन्धि–विच्छेद करते हुए स्पष्ट किया गया है कि 'महि' का अर्थ धरती होता है तथा 'ला' का अर्थ नियम होता है। अर्थात धरती पर नियम बनाने वाली नारी है। अपनी शिक्षा और गुणों से वह घर को स्वर्ग बना सकती है।

महिला सशक्तीकरण के विभिन्न आयाम

महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य यह नहीं लगाया जाना चाहिए की नारी की पुरूष पर श्रेष्ठता की पहल है। अपितु यह उन उपायों की पहल है जिससे विकास मानकों की प्राप्ति में महिलाएं और पुरूष बराबर योगदान कर सकें। वातावरण लिंगभेद से रहित, परस्पर पूरकता का हो। इस दृष्टि से महिला सशक्तकरण के अनेक ऐसे

आयाम हैं जिन पर प्रेरित और प्रोत्साहित करने से महिला सशक्तीकरण की दिशा में वांछित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस धारणा के मूल में स्त्री–पुरूष को एक दूसरे का पूरक समझते हुए समतामूलक व्यवस्था विकसित करने की भावना निहित है। इस प्रक्रिया के अनेक आयाम हैं, जैसे–

1. शैक्षिक
2. स्वास्थ्य
3. आर्थिक
4. सामाजिक
5. विधिक
6. राजनीतिक
7. भावनात्मक

शैक्षिक सशक्तीकरण

प्रस्तुत अध्ययन में हम शैक्षिक आयाम पर चर्चा कर रहे हैं। एक सुशिक्षित महिला अपने ज्ञान से अपने परिवार को प्रकाशित करने के साथ–साथ स्वयं भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती है। संतान का प्रथम गुरू, अर्थात उसकी माता यदि सुशिक्षिता हो तो भावी पीढ़ी के शिक्षित होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विसंगतियों से लड़ने का एकमात्र हथियार भी शिक्षा ही है। इसके प्रयोग से स्त्रियॉ परिवार तथा समाज में सम्मान के साथ–साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकती है। विचारणीय है कि शिक्षित स्त्री परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी राय देने के साथ–साथ निर्णय प्रक्रिया में भी भागीदारी कर सकती है। आज यह सकारात्मक परिवर्तन प्रत्येक समाज में देखा जा रहा है। लोग कन्याओं को शिक्षित करने में रूचि लेने लगे हैं। आवश्यकता यह है कि उनके युवा होने पर भी यह रूचि बनी रहे तथा पढाई समाप्त होने पर ही उनके विवाह की चर्चा हो।

एक सशक्त नारी जागरूक होती है एवं उससे उसे अपने अधिकारों की शिक्षा प्राप्त होती है। अपनी आंतरिक संवेदनशीलता एवं भौतिक, बौद्धिक प्रकृति के आधार पर वह अपने पूर्वाभाष को स्पष्ट रीति से समझने लगती है। वह ज्वलंत मुद्दों पर वार्तालाप की कीमत समझती है, उन पर चलती है। जब एक महिला अपने अधिकारों को जानती–समझती है तो बहुत स्पष्ट के रूप में अपने अधिकारों को जानती है। इसके बाद ही वह अपना अलग कदम उठाती है। जागरुकता को अपने कर्मों में उतार लिया जाता है तो वह शक्ति का स्वरुप लेती है।

नारी को सशक्त बनाने में शिक्षा की अहम भूमिका है। महिलाओं की शिक्षा देश के भविष्य के लिये अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं अपने बच्चों की पहली शिक्षिका होती हैं। पहली शिक्षिका मतलब राष्ट्र का भविष्य। यदि महिलाओं की शिक्षा को अनदेखा किया जाता है, तो वह राष्ट्र के उज्जवल भविष्य से अनभिज्ञ होगी। एक अशिक्षित महिला सक्रिय रुप से परिवार को संभालने, बच्चों की उचित देखभाल नहीं कर सकती। एक शिक्षित महिला अपने परिवार को आसानी से संभाल सकती है, प्रत्येक परिवार के सदस्य को जिम्मेदार बना सकती है, बच्चों में अच्छे गुणों का संचार कर सकती है, सामाजिक कार्यों में भाग ले सकती है। एक आदमी को शिक्षित करके केवल एक आदमी को शिक्षित किया जा सकता है, लेकिन एक महिला को शिक्षित करने से पूरे देश को शिक्षित किया जा सकता है। नारी शिक्षा का अभाव समाज के शक्तिशाली हिस्से को कमजोर करता है। इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए।

महिलाओं की स्थिति में हो रहे परिवर्तन पर शिक्षा का प्रभाव

शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं ने हर कार्य क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया है। महिलाएं अपनी जिंदगी से जुड़े हर फैसले खुद ले रही हैं। अपने हक के लिए लड़ने लगी है, और धीरे–धीरे आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं तथा उनके हक में उनका साथ दे रहे हैं, और उन्हें स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए हर प्रकार की सहायता कर रहे हैं। अब वह महिलाओं के विचारों का सम्मान करने लगे हैं। महिलाओं की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, वह शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सका है। महिलाओं ने शिक्षा को अपनाकर अपनी स्थिति को और मजबूत किया किया है, जो समाज के लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है और समाज को मजबूती प्रदान करता है।

शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है। शिक्षा जीवन के दरवाजे की कुंजी है जिसका लक्ष्य ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना तथा अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करना है। मकोल व अन्य के अनुसार ''किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए महिला शिक्षा को विशेष महत्व है। किसी भी शिक्षित समाज की वास्तविक स्थिति जानने का तरीका है कि हम यह जानने का प्रयास करें कि समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति कैसी है, उनको क्या–क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं और उनकी मूलभूत संसाधनों तक कितनी पहुँच है तथा राजनीतिक व सामाजिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी कितनी सहभागिता है? देखा जाय तो महिलाओं की शिक्षा विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है जिसने महिलाओं का स्तर और उनकी समाज में भूमिका को उठाने में सहायता की है।''

शिक्षा किसी भी व्यक्ति के सुखद जीवन की मजबूत आधारशिला तैयार करती है। शिक्षा के द्वारा एक महिला असहाय व अबला से सशक्त और सबला बनती है। महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य है महिलाओं में छिपी हुई उन शक्तियों, गुणों तथा प्रतिभाओं को विकसित करना, जिनको व्यवहार में लाकर व अपने विकास की ओर स्वयं कदम बढ़ा सके। यह कार्य केवल शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है। विश्व विकास रिपोर्ट 1993–99 स्पष्ट करती है कि महिला शिक्षा आर्थिक विकास में सहायक होने के साथ ही प्रजननता को कम करके, बच्चों के उचित पालन पोषण तथा माता–पिता एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में सहायक होती है। सामान्य तौर पर शिक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता में सहायक होती है। इससे महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊपर उठता है तथा उनका सशक्तीकरण होता है। आर्थिक स्वायत्तता से निर्भरता एवं पुरूष प्रधानता तथा वर्चस्व ध्वस्त होने से न सिर्फ महिला व्यक्तिगत स्तर पर लाभान्वित होगी अपितु सामाजिक स्तर पर ऐसे परिवर्तन घटित होंगे कि पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होकर रह जायेगी और एक नयी समाजवादी व्यवस्था उभर कर सामने आयेगी जिसमें महिला और पुरूष दोनों का समान महत्व होगा।

''संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब पूरे विश्व के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किये तब उसमें समावेशी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। शिक्षा से वंचित वर्गों में पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा महिलओं का है।''

पूरे विश्व में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का स्तर आधे से भी कम है। भारत में स्वतन्त्रता के समय यह स्थिति अत्यन्त विकट थी। पुरुषों में सारक्षता की दर 20 प्रतिशत थी वहीं महिलाओं की साक्षरता केवल 8.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जहाँ पुरूषों की साक्षरता दर 82 प्रतिशत थी वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 63.5 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखण्ड आदि राज्यों में यह 55 प्रतिशत से भी कम है। महिला

साक्षरता के हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश है जहाँ केवल 51 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं। इस परिस्थिति से स्पष्ट होता है स्वतन्त्रता के 70 वर्षों के बाद भी महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करना आवश्यक है।

भारत में नारी शिक्षा में सुधार के लिए चलाए गए निम्न कार्यक्रम उल्लेखनीय हैं–

1. सर्वशिक्षा अभियान
2. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान
3. इंदिरा महिला योजना
4. बालिका समृद्धि योजना
5. राष्ट्रीय महिला कोष
6. महिला समृद्धि योजना
7. रोजगार और आय सृजन प्रशिक्षण–सह–उत्पादन केन्द्र
8. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास कार्यक्रम
9. महिलाओं और कन्याओं के लिए शार्ट स्टे होम

केन्द्र सरकार ने बालिका शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण को लेकर आरम्भ की गई योजनाओं के कियान्वयन से निश्चित रूप से बालिकाओं को हौसला मिल रहा है। इसमें प्रमुख रूप से बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ योजना है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। 100 करोड़ रूपये के शुरूआती कोश के साथ यह योजना शुरू में देशभर के सौ जिलों में शुरू की गयी। खासकर उन जिलों में जहाँ लिंगानुपात बेहद कम थ। बाद में इसका विस्तार 61 अन्य जिलों में भी किया गया है। इस योजना के तारतम्य में हर लड़की के लिए पैसे बचाने की और लघु बचत योजना सुकन्या समृद्धि अकांउट योजना शुरू की। बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यकता होने पर धन की उपलब्धता जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ ही घरेलू बचत का प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह पहल की गयी। यह योजना माता पिता को अपनी लड़की की बेहतर शिक्षा और भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही केन्द्र की ओर से शैक्षिक रूप से पिछड़े 3.479 उपखण्डों में दसवीं और बारवीं कक्षा की छात्राओं के लिए 100 बिस्तरों वाले छात्रावासों की स्थापना की है। इस योजना का उददेश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडावर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की 14 से 18 साल की ऐसी बालिकाओं को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना है जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना का शुभ आरम्भ किया गया था। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरूआत पहले दो वर्ष तक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम व महिला सामख्या योजना के साथ सामंजस्य बिठाते हुए शुरू की गयी थी। बाद में इसे सर्वशिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया गया।

नारी शिक्षा के लाभ

1–सामाजिक विकास

नारी को शिक्षित करने से भारतीय समाज की कई सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सहायता मिल सकती है– दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि। एक सुसंस्कृत नारी भावी पीढ़ियों को सुधार सकती है।

2–समावेशी विकास

महिलाओं को शिक्षित करने से निश्चित रूप से राष्ट्र का त्वरित विकास सम्भव है, क्योंकि अधिक योग्य महिलायें कार्यबल में सम्मिलित होकर विकास में योगदान दे सकती हैं।

3–उच्च जीवन स्तर

एक शिक्षित एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नारी अपने परिवार और सम्बन्धियों की आवश्यकताओं के लिए वित्तीय योगदान देगी। दो कमाने वाले माता–पिता बच्चों के साथ–साथ परिवार के उच्च जीवन स्तर और विकास की सम्भावनायें प्रदान करते हैं।

4–सामाजिक मान्यता

शिक्षित महिलाओं वाला परिवार एक अच्छी सामाजिक स्थिति प्राप्त करता है और दूसरों की अपेक्षा अधिक सम्मानित होता है। एक सुसंस्कृत नारी समाज में उचित रूप से परिवार का मान बढ़ात है और उसे गौरवान्वित करती है।

5– बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता

एक शिक्षित नारी अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों को पहचानती है और उनसे निपटना जानती है। वह अपने बच्चों को अच्छे और बुरे का ज्ञान कराकर स्वच्छता के बारे में जागरूक करती है तथा उनका पालन पोषण करती है।

महिलाओं की स्थिति में हो रहे परिवर्तनों पर शिक्षा का प्रभाव

अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं की परिवर्तित प्रस्थिति पर शिक्षा का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है? सशक्तिकरण में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण हैं। बिना शिक्षा के महिलाओं की प्रस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन असम्भव है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता आयी है, वे अपने बारे में सोचने लगी है, उन्होंने महसूस किया है कि घर से बाहर भी जीवन है, महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है, उनके व्यक्तित्व में निखार आया है। महिलाएँ न केवल सामान्य शिक्षा, विश्वविद्यालय तथा कालेजों में ही जा रही है बल्कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रही है, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर रही हैं, वायु सेना और नौ सेना में अपनी सेवा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भारतीय/प्रांतीय प्रशासनिक सेवाओं, न्यायपालिका, विज्ञान, समाज सुधार, खेल–कूद आदि के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर रही हैं।

नारी शिक्षा के मार्ग में बाधाएँ

भारत में नारी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार चिन्हित किए जा सकते हैं–

1. कन्या जन्म और कुपोषण।
2. कम उम्र में यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार।
3. माता–पिता की निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति।
4. बचपन में संक्रमण और कम प्रतिरक्षा शक्ति।
5. सामाजिक जीवन में प्रतिबन्ध और वर्जनायें।
6. घर–परिवार में आदेश पालन की मजबूरी।
7. शिक्षा हेतु सीमित अनुमति।

संक्षेप में नारी शिक्षा के मार्ग में लैंगिक भेदभाव, पारिवारिक परम्पराएँ, परदाप्रथा, बाल विवाह, निर्धनता, सामाजिक, आर्थिक पहलू घर से विद्यालय की दूरी आदि प्रमुख बाधाएँ है।

स्वतन्त्रता के बाद से केन्द्र और राज्य सरकारें विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं को शिक्षा की धारा में शामिल करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। वर्ष 2001 में समग्र साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत थी तथा पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 75.85 प्रतिशत तथा 54. 16 प्रतिशत थी। तथा 2011 में समग्र साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत थी तथा पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 82.14 प्रतिशत तथा 65.46

प्रतिशत थी। यद्यपि पिछले दशकों से महिला साक्षरता में अधिकतम सुधार हुआ है फिर भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा भाग आज भी शिक्षा से वंचित है। महिला शिक्षा के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएँ हैं–

भारत में शिक्षा में महिला और पुरुष के बीच भेदभाव देखने को मिलता है। स्कूलों में लड़कियों की अपेक्षा लड़के ज्यादा प्रवेश लेते हैं और एक निश्चित स्तर तक अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। लड़कियाँ घर पर अपनी माताओं का हाथ बटाती हैं, बाहर काम पर जाती हैं या अपने छोटे भाई बहनों की रक्षा करती हैं। विज्ञान और इंजीनियरी में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक प्रवेश लेते हैं और लड़कियों निचले स्तर के पाठ्यक्रमों तथा कालेजों में जाती हैं विज्ञान, टैक्नोलोजी तथा इंजीनियरी शिक्षा के क्षेत्र में लड़के तथा लड़कियों के बीच असमान वितरण है, किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि उनको अभिरुचियों में कोई अन्तर है। अभिभावक बेटियों की पढ़ाई को विवाह पर होने वाले खर्च के साथ जोड़ते हैं। इसी कारण वे अपनी लड़कियों को उसी स्तर तक पढ़ाते हैं जहाँ वे उनके लिए सुयोग्य वर ढूँढ सकें। छोटी आयु में विवाह होने के कारण लड़कियों को पढ़ाई के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। निर्धनता लड़कियों को शिक्षित होने के अवसरों में स्पष्ट रूप से बाधा डालती है। अध्ययन दर्शातें है कि निर्धन परिवारों में लड़कियाँ गृहकार्य पूरा करती है। छोटे बहन भाईयों की देखभाल करती हैं और कृषि कार्यों में अपने माता पिता का हाथ बटांती हैं। उनके पास विद्यालय जाने के लिए समय नहीं बचता। लड़कों के कार्य से भिन्न लड़कियों के कार्य को महिलाओं द्वारा किये जाने वाला कार्य समझा जाता है। माता पिता की बेटे और बेटियों के समाजीकरण में भेदभाव की मनोवृत्ति दोनों को भूमिका और दायित्व निर्धारित करने में प्रकट होती है।

दिल्ली के विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक अभिभावकों पर किये गये एक अध्ययन से पता लगता है कि उन्हे अपने बेटों और बेटियों से भिन्न–भिन्न अपेक्षाएँ होती है। बेटों से प्रायः घर से बाहर के कार्य करने के लिए कहा जाता है जबकि बेटियों से रसोई घर मे हाथ बटवाने की आषा की जाती है। माता पिता बेटे की पढ़ाई को भविष्य में अच्छे रोजगार अवसरों के लिए एक निवेश मानते हैं जिसके द्वारा उनकी वृद्धावस्था सुरक्षित हो जायेगी। बेटी की पढ़ाई पर इस तरह की बातों का ध्यान नहीं दिया जाता इसलिए उसे प्राथमिकता नही दी जाती। घर से विद्यालय की दूरी होने से अभी भी असंख्य बच्चे है जिनके लिए प्राथमिक विद्यालय तक पहँचना आसान नहीं है। ये समस्या लड़कियों के मामले में उच्चतर प्राथमिक स्तर पर और भी गम्भीर हो जाती है। सर्वेक्षण से पता लगता है कि केवल 37 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को निवास स्थान के नजदीक उच्चतर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है। इसमें से तीन किलोमीटर की सीमा में 48 प्रतिशत बच्चों को एक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। 15 प्रतिशत आबादी 3 किलोमीटर से अधिक दूर है। जिन पांच राज्यों में प्रोब सर्वेक्षण हुआ था वहाँ पाया गया कि जिन गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं वहाँ लड़कियों प्रायः कक्षा पांच के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। इसका कारण यह है कि माता पिता अपनी लड़कियों को पढ़ाई के लिए दूसरे गांवों में भेजना पसंद नहीं करते।

विद्यालय में अध्यापिकाओं की उपस्थिति लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने में एक निर्णायक निवेश के रूप में कार्य करती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहाँ महिला साक्षरता दर कम है, वहाँ अध्यापिकाओं का प्रतिशत भी बहुत कम है। प्राथमिक स्तर में वहाँ क्रमशः 25.49 प्रतिशत और 19.84 प्रतिशत अध्यापिकाएँ है। यह केरल के विपरीत है जहाँ उच्चतम साक्षरता दर के साथ–साथ प्राथमिक स्तर पर अध्यापिकाओं का

प्रतिशत भी उच्च है। प्रोबा सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के अनेक भागों में अभिभावक चाहते हैं कि उनकी बेटियों की पढ़ाई के लिए अध्यापिकाएँ होनी चाहिए। विद्यालयों द्वारा लड़कियों को अन्य बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए, जैसे लड़कियों के लिए अलग शौचालय। छठा अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण बताता है कि भारत मे केवल 5.12 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों तथा 17. 17 प्रतिशत उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियो के लिए अलग शौचालय है।

शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1996) ने स्पष्ट किया कि समानता का सम्मान करने के लिए शिक्षा जगत में व्याप्त लिंग भेद को समाप्त करना होगा। विश्व शिक्षा रिपोर्ट (1995) में स्पष्ट किया गया कि ''दुनियों के निर्धन देशों में महिला एवं बालिकाएँ घर की चार दीवारी में बन्द है। अशिक्षित माताओं अशिक्षित बालिकाओं को जन्म देती है और उनकी शादी कम उम्र में कर दी जाती है। इससे गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि तथा शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का एक अनन्त चक प्रारम्भ होता है।''

महिलाओं की शिक्षा के प्रति उपेक्षा और भेदभाव को एक दिन में ही नहीं बदला जा सकता, लेकिन नागरिक समाज के सहयोग से सरकार की देशभर में शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने के लिए बड़ी सावधानी पूर्वक बनायी गयी योजनाओं से स्त्रियों का सशक्तीकरण अवश्य हो सकेगा। इसके लिए महिला शिक्षा में आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करना होगा। महिलाओं को शैक्षिक रुप से और मजबूत करना होगा। शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को दूर करना चाहिए तथा बेटे और बेटी की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। महिला शिक्षा के लिए स्कूलों की घर से भौगोलिक दूर का कम किया जाना चाहिए। जनता में महिला शिक्षा, के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय समाज सुधारकों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रभावशाली भूमिका हो सकती है। इसलिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। आवासीय पाठशालाओं की अधिक से अधिक स्थापना की जानी चाहिए। सरकार निर्धन, पिछडे तथा कमजोर वर्गों में बालिका शिक्षा के प्रति उत्साह जगाने के लिए आर्थिक पिछडेपन को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में जहॉ महिलाएँ काम करती हैं, बालगृहों की स्थापना की जानी चाहि ताकि लड़कियों को स्कूल छोड़कर अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए घर पर न रूकना पड़े।

संदर्भ

1. देवपुरा प्रतापभल, 'महिला सशक्तीकरण में शिक्षा का महत्व' कुरूक्षेत्र अंक 5 मार्च2006।
2. मकोल नीलम, शर्मा संदीप, सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओंका योगदान, कुरूक्षेत्र सितम्बर 2006।
3. मिश्रा के.के., (1965), विकास का समाजशास्त्र, वैशाली प्रकाशन, गोरखपुर।
4. श्रीवास्तव, सुधारानी (1999), भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
5. जैन प्रतिभा (1998), भारतीय स्त्रीः सांस्कृतिक संदर्भ, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
6. तिवारी, आर.पी. (1999), भारतीय नारीः वर्तमान समस्यायें एवं समाधान, नई दिल्ली।
7. बघेला, डा. हेत सिंह (1999), शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।